कार्यालय, जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, दुमका

अति अल्पकालीन निविदा/दर आमंत्रण

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्यादेश संख्या 05 दिनांक 16.07.2020 के आलोक में तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत दुमका जिले के निबंधित मत्स्य बीज उत्पादकों को फ्राई कैचिंग नेट आपूर्ति किया जाना है इस प्रयोजनार्थ जाल आपूर्तिकत्ताओं से निम्नांकित कंडिकाओं के अधीन अल्पकालीन दर आमंत्रित किया जाता है, जिसकी अंतिम तिथि दिनांक 30.07.2020 के अपराहन् 2.00 बजे तक होगी।

1. फ्राई कैचिंग नेट का दर जाल की लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ (100'- 0"X15'- 0") प्रति अदद् के दर से प्रस्तुत किया जाएगा।
2. फ्राई कैचिंग नेट (100'- 0"X15'- 0") प्रति अदद् पूर्व के संभावित मूल्य 2000/– रू0 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. फ्राई कैचिंग नेट में उपर एवं नीचे नायलॉन का रस्सी एवं दस फीट की दुरी पर फ्लोट लगाना अनिवार्य होगा।
4. फ्राई कैचिंग नेट आपूर्ति हेतु जाल का साईज एवं संख्या स्वीकृत दर के अनुरूप सफल निविदादाता को कार्यादेश के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
5. आमंत्रित दर के साथ अधोहस्ताक्षरी पदनाम से देय मो0 25,000/– रू0 मात्र का B/D संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. आपूर्तिकर्त्ता को दर के साथ GST के निबंधन का प्रमाण–पत्र एवं पैन नं0 के साथ विगत तीन वित्तीय वर्ष का (यथा– 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 का) Income Tax Return एवं GST No. एवं 2019–20 का GST Clearance Certificate एवं आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य रुप से संलग्न करना होगा।
7. निविदा के साथ विगत तीन वर्षों का (यथा–2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 का) झारखण्ड सरकारी क्षेत्र में फ्राई कैचिंग नेट आपूर्ति का प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. आपूर्ति हेतु तैयार एक मीटर लम्बाई का फ्राई कैचिंग नेट का नमूना दर आमंत्रण के साथ अलग से आपूर्तिकर्त्ता के नाम व पता का टैग लगाकर संलग्न करना अनिवार्य होगा। फ्राई कैचिंग नेट का चौड़ाई आपूर्तिकर्त्ता को अपने स्वेच्छानुरूप प्रस्तुत करना होगा।
9. इस दर आमंत्रण को स्वीकृत अथवा रद्द करने का अधिकार मत्स्य विभागीय निविदा समिति के अधीन होगा।
10. आमंत्रित दर निविदा बक्से में दिनांक 30.07.2020 के अपराहन् 2.00 बजे तक कार्यालय में निविदा बक्से में डाला जा सकता है।
11. निविदा/आमंत्रित दर निविदा समिति द्वारा दिनांक 30.07.2020 के अपराहन् 3.30 बजे खोली जाएगी।
12. प्रथम सफल निविदादाता द्वारा किसी कारणवश अयोग्य पाए जाने की स्थिति में दूसरे सफल निविदादाता को सामग्री आपूर्ति का अधिकार आवंटित किया जा सकेगा।

(रवि रंजन कुमार)
जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
दुमका